षोडश बिहार विधान सभा

नवम् सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-28.02.2018 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव, स०वि०स० श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, स०वि०स० श्री मुद्रिका प्रसाद राय, स०वि०स	"बिहार में बालू की भारी किल्लत है । वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में राज्य में बालू की बंदोवस्ती से प्राप्त राजस्व में पूर्व के वर्ष की अपेक्षा 30 प्रतिशत की कमी आ गई है । बिहार की 70 प्रतिशत जनता प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से इससे प्रभावित हो रही है । लाखों मजदूर, मिस्त्री एवं व्यवसायियों की रोजी-रोटी छिन गई है । वर्ष 2015 से 2019 तक के लिए प्रत्येक जिले में बालू की बंदोवस्ती कर दी गई थी और इस अवधि के बीच सरकार द्वारा 2017 में नई नियमावली लायी गयी जिसपर हाई कोर्ट / सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगा दी गई है । वाहन में जीपीएस एवं ई-लॉक लगाने के फरमान से वाहन मालिक का शोषण किया जा रहा है । ये काम दो कम्पनियों को ही दिया गया है । कम्पनी द्वारा 3000 रू० का उपकरण 25-30 हजार रू० में बेचा जा रहा है । अतः बालू उत्खनन नीति का व्यवहारिक अनुपालन करने एवं व्याप्त अराजकता को दूर करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"	खान एवं भूतत्व

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
2.	श्री सिद्धार्थ, स०वि०स० श्री आनन्द शंकर सिंह, स०वि०स० डा० मुहम्मद जावेद, स०वि०स० श्री रामदेव राय, स०वि०स० श्री मो० तौसीफ आलम, स०वि०स० श्री सुदर्शन कुमार, स०वि०स० श्री मदन मोहन तिवारी, स०वि०स० श्री सुधीर कुमार उर्फ बन्टी चौधरी, स०वि०स० श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी, स०वि०स०	"राज्य में संचालित पैक्सों द्वारा धान क्रय करने का नियम काफी जटिल किये जाने के चलते पटना जिलान्तर्गत फरवरी माह के अन्त तक मात्र 20 प्रतिशत ही क्रय किया गया है । पटना जिला में "मोबाईल एप" द्वारा धान क्रय के तरीके में 13 फरवरी से 22 फरवरी तक धान क्रय बन्द किये जाने से कृषक मर्माहत हैं । S.F.C. द्वारा पैक्सों से चावल प्राप्त करने के उपरान्त 20 दिनों बाद कृषकों को चावल मूल्य दिया जा रहा है । अत: धान क्रय के नियम को सरल करने एवं S.F.C. द्वारा कृषकों के चावल मूल्य का अतिशीघ्र भुगतान करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण सहकारिता

राम श्रेष्ठ राय
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-2/18- 789-799/ वि०स०, पटना, दिनांक-27 फरवरी, 2018 ई० ।

प्रति:- बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्री / माननीय मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय, पटना / संसदीय कार्य विभाग / खान एवं भूतत्व विभाग / खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण एवं सहकारिता विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रदीप कुमार राय
27.02.2018
(प्रदीप कुमार राय)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-2/18- 789-799/ वि०स०, पटना, दिनांक-27 फरवरी, 2018 ई० ।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रशाखा पदाधिकारी, सचिवीय कार्यालय को क्रमश: माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रदीप कुमार राय
27.02.2018
(प्रदीप कुमार राय)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

27/02/18